विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 332 दिनांक 04.03.2016
परिशिष्ट "अ" प्रशन कर्ता **श्री कालू सिंह ठाकुर**

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, (1971 का 34) के
"चिकित्सीय समापन नियम 2003 का नियम 4(क), (ख)(ग)"

4. धारा 2 के खंड (घ) के अधीन अनुभव और प्रशिक्षण

धारा 2 के खंड (घ) के प्रयोजन के लिऐ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में निम्नलिखित में से एक या अधिक का अनुभव या प्रशिक्षण होगा, अर्थात्:–

(क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवयाय में तीन वर्ष से अन्यून का अनुभव;

(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्टीकृत हुआ है;

(i) यदि उसने स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति में छः माह की हाउस सर्जरी पूरी कर ली है; अथवा

(ii) जब ततक उसमें निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, यदि उसके पास किसी अस्पताल में स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवयाय का एक वर्ष का अन्यून का अनुभव से; अथवा

(ग) यदि उसने सरकार द्वारा स्थापित अथवा संचालित अस्पताल में अथवा इसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में, गर्भ के चिकित्सीय समापन के पच्चीस मामलों में, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की सहायता की हो जिनमें से उसने कम से कम पांच मामलों को स्वतंत्र रुप से किया हो।

(i) यह प्रशिक्षण पहली तिमाही के (गर्भावधि के 12 सप्ताह तक) गर्भ का समापन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर एम पी) को समर्थ बनाएगा।

(ii) बीस सप्ताह तक के गर्भ का समापन करने के लिए उप–नियम (क), उप–नियम (ख) ओर उप–नियम के अधीन यथा विहित अनुभव और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लागू होगा।

23/2/16
(Dr. [illegible])
Registrar
M.P. Medical Council : Bhopal